

11 4/19 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में  
 बार-बार आवेजे लगवाए गये। परन्तु  
 वादीगण व उनके अधिवक्ता कोई उपाय  
 नहीं हुए। लिहाजा प्रकरण आजकल  
 अदालत हाजरी में श्वारीज किया जाता है।  
 पत्रावली फौसत शुका ले कर नम्बर  
 से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय  
 में सुनाया गया।

*(Handwritten signature)*

सहायक कलेक्टर  
 (एस. जी. ओ.) कुम्भलगढ  
 जिला-राजसमन्



8/17

*(Faint handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page)*